न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/06/2023	2023/485	01.03.2023	23.01.2025

1. कमलेश पत्नी सचिन कुमार
2. गौरीशंकर पुत्र रमेश चन्द
3. रविशंकर पुत्र रमेश चन्द
4. सत्यवती पत्नी रमेश चन्द
5. हरीशंकर पुत्र रमेश चन्द जाति समस्त ब्राह्मण निवासीयान रामनगर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—अपीलान्टान

बनाम

1. तहसीलदार (भू0अ0) कठूमर जिला अलवर राज0।

— रेस्पाडेन्ट

अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 787 वाके ग्राम रामनगर तह0 कठूमर जिला अलवर।

उपस्थितः—
01—श्री मूलचन्द चौधरी —वकील अपीलाण्ट्स
02—श्री दीपक मीना — राजकीय अभिभाषक

—:निर्णय:—

वकील अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 787 निर्णय दिनांक 08.10.2022 वाके ग्राम रामनगर तहसील कठूमर जिला अलवर तहसीलदार कठूमर द्वारा स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहसीलदार कठूमर द्वारा मृतका केशर देवी स्त्री नत्थीलाल जाति ब्राह्मण निवासी रामनगर तहसील कठूमर की ग्राम रामनगर तहसील कठूमर में स्थित आराजी की जरिये वसीयत अपीलान्टान के नाम संशोधित नामांतकरण संख्या 787 दिनांक 08—10—2022 वाके ग्राम रामनगर तहसील कठूमर स्वीकृत किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 291, 292, 252, 474, 459 वाके ग्राम रामनगर तहसील कठूमर अंकित नहीं किया गया है। चूँकि उक्त इंतकाल मिन अपीलान्टान के पीछे से स्वीकार किया गया है। उक्त इंतकाल की जानकारी मिन अपीलान्टान को दिनांक 06—09—2022 को हुई जबकि मिन अपीलान्टान द्वारा आराजी उपरोक्त से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो बताया कि तुम्हारे नाम स्वीकृत इंतकाल में आराजी खसरा नम्बर 291, 292, 252, 474, 459 अंकित नहीं की है, जिस पर मिन अपीलान्ट ने उसी दिन नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल उसी दिन सायंकाल प्राप्त हुई। जिसके पश्चात मिन अपीलान्टान ने वकील साहब से सलाह मश्वरा किया तो उन्होने न्यायालय श्रीमान के समक्ष अपील दायर करने की सलाह दी। जिस पर मिन अपीलान्टान ने उक्त इंतकाल व अन्य सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड व पत्रादि की नकल वकील साहब को दे दी और उन्होने अपील दायर करने का आश्वासन दे दिया जिस पर मिन अपीलान्टान आश्वास्त रहे कि वकील साहब अपील पेश कर देगें। किन्तु उक्त वकील साहब से मिन अपीलान्टान ने दिनांक 14—02—2023 को वकील साहब से सम्पर्क कर अपील के बारे में पता किया तो पता चला कि उक्त वकील साहब द्वारा अपील पेश नहीं की है और अपील पेश नहीं करने का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिस पर मिन अपीलान्टान द्वारा वकील साहब से समस्त कागजात वापिस प्राप्त कर दीगर अधिवक्ता श्री

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

मूलचन्दजी चौधरी से सम्पर्क कर अपील पेश करने व पैरवी करने हेतु नियुक्त किया है। इस प्रकार इसमें मिन अपीलान्टान की कोई बदयान्ती किसी प्रकार की नहीं रही है तथा जो देरी हुई है वह उपरोक्त कारण से हुई है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार साहब कठूमर की आज्ञा दिनांक 08—10—2022 से दिनांक 14—02—2023 तक का समय कण्डोन कर किया जाकर अपील अंदर मियाद तसब्बर किया जाना न्याय संगत है कि जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत पेश किया जा रहा है।

आराजी खसरा नम्बर 166, 168, 23, 32, 211, 252, 291, 292, 459, 474, 18, 17, 206, 172, 199, 22, 458, 148, 150, 164 वाके ग्राम रामनगर तहसील कठूमर जिला अलवर राज० केशर देवी स्त्री नत्थी लाल जाति ब्राह्मण निवासी रामनगर तहसील कठूमर जिला अलवर राज० की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिन्होंने अपने जीवनकाल में एक वसीयत मिन अपीलान्टान के नाम तहरीर व तकमील की थी। न्यायालय उपाण्डअधिकारी लक्ष्मण द्वारा मिन अपीलान्टान को मृतक केशर देवी के वारिस घोषित किये गया है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर द्वारा उपरोक्त इंतकाल सम्पूर्ण आराजी खसरा नम्बर 166, 168, 23, 32, 211, 252, 291, 292, 459, 474, 18, 17, 206, 172, 199, 22, 458, 148, 150, 164 वाके ग्राम रामनगर तहसील कठूमर जिला अलवर राज० की बाबत स्वीकार किया गया था परन्तु उसके पश्चात पुनः दिनांक 08—10—2022 को विवादित संशोधित इंतकाल स्वीकार किया गया जिसमें आराजी खसरा नम्बर 291. 292, 252, 474, 459 वाके ग्राम रामनगर तहसील कठूमर को कलमजन कर दिया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजी खसरा नम्बर 291, 292, 252, 474, 459 वाके ग्राम रामनगर तहसील कठूमर की बाबत रिसिवर कायम होने का आक्षेप लगाते हुए स्वीकार नही किया गया है। किसी भी आराजीयात पर रिसिवर कायम होने की स्थिति में कानूनन उसकी बाबत भी इंतकाल स्वीकार करना चाहिए था। चूँकि रिसिवर कायम होने के पश्चात इंतकाल स्वीकार नही होने की स्थिति में रिसिवर या आराजी पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है। और ना ही रिसिवर आदेश का उल्लंघन होता है। सम्पूर्ण आराजी के मिन अपीलान्टान खातेदार हैं और उक्त आराजी जरिये वसीयत अपीलान्टान को प्राप्त हुई है। आराजी खसरा नम्बर 291, 292, 252, 474, 459 वाके ग्राम रामनगर तहसील कठूमर की बाबत मिन अपीलान्टान के नाम इंतकाल स्वीकार नही होने से मिन अपीलान्टान के हक हकूक जायल होने का अंदेशा है। उक्त इंतकाल मिन अपीलान्ट के पति के पीछे से स्वीकृत किया गया है तथा उक्त इंतकाल स्वीकार करने से पूर्व मिन अपीलान्टान को ना तो तलब किया गया है और ना ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में इंतकाल पुनः संशोधन किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 291, 292, 252, 474, 459 वाके ग्राम रामनगर तहसील कठूमर की बाबत मिन अपीलान्टान के नाम स्वीकार किया जाना आवश्यक है कि जिसके लिए यह अपील पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर तहसीलदार लक्ष्मनगढ की आज्ञा दिनांक 08—10—2022 बाबत संशोधित इंतकाल संख्या 787 वाके ग्राम रामनगर तहसील कठूमर जिला अलवर पुनः संशोधित कर आराजी खसरा नम्बर 291, 292, 252, 474, 459 वाके ग्राम रामनगर तहसील कठूमर का इंतकाल अन्य आराजीयात के साथ साथ में अपीलान्टान के नाम स्वीकृत कराये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2022 के विरूद्व दिनांक 17.02.2023 को पेश की गयी है जो करीब 04 माह 09 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन—मनन किया। तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 20.07.2022 के द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम
अलवर

मृतका केशर देवी पत्नी नत्थीलाल जाति ब्राह्मण निवासी रामनगर तहसील कठूमर के नाम दर्ज समस्त आराजीयात को उनके वारिसान के पक्ष में दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया गया था। किन्तु तहसीलदार कठूमर द्वारा संशोधित इंतकाल संख्या 787 दिनांक 08.10.2022 दर्ज करते समय आराजी खसरा नंबर 291, 292, 252, 474, 459 वाके ग्राम रामनगर तहसील कठूमर की बाबत् रिसिवर कायम होने का आक्षेप लगाते हुए उक्त खसरा नंबरों को संशोधित इंतकाल में दर्ज नहीं किया गया। किसी भी आराजी पर रिसिवर कायम होने की स्थिति में रिसिवर या आराजी का इंतकाल स्वीकार करने पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट में रिसिवर के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं, जिससे स्थिति स्पष्ट नहीं है। नामान्तकरण दर्ज होने से मौके की स्थिति नहीं बदलती है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर को पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि नामान्तकरण संख्या 787 दिनांक 08.10.2022 में पुनः संशोधन कर आराजी खसरा नंबर 291, 292, 252, 474, 459 वाके ग्राम रामनगर तहसील कठूमर का इंतकाल अन्य आराजी के साथ–साथ अपीलाण्ट के नाम दर्ज व स्वीकार किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)